महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद की 37वीं (विशेष) बैठक दिनांक 16.07.2008 का कार्यवृत

विद्या परिषद् की 37वीं (विशेष) बैठक दिनांक 16 जुलाई, 2008 को प्रातः 12.00 बजे बृहस्पति भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

उपस्थिति :

1. प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, अध्यक्ष
2. डॉ. आर.एस. अग्रवाल, संयोजक- ए.बी.एस.टी. अध्ययन बोर्ड, राजकीय एस.डी. कॉलेज, ब्यावर
3. डा. सीताराम गुप्ता, संयोजक- व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड, उपाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा, टोंक
4. प्रो. के. के. शर्मा, संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय संयोजक- प्राणिशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष प्राणिशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
5. प्रो. एस.एन. सिंह, समाज विज्ञान संकायाध्यक्ष एवं इतिहास विभागाध्यक्ष, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
6. प्रो. सतीश अग्रवाल, प्रबन्ध अध्ययन संकायाध्यक्ष एवं संयोजक-प्रबन्ध अध्ययन अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
7. प्रो. सर्वेश पालरिया, विज्ञान संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष रिमोट सैंसिंग एवं जियो इन्फॉर्मेटिक्स तथा संयोजक-रिमोट सैंसिंग एवं जियो इन्फॉर्मेटिक्स अध्ययन बोर्ड, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
8. डॉ. अंजना भार्गव, ललित कला संकायाध्यक्ष, संगीत विभागाध्यक्ष, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर
9. डॉ. बी.जी. जादव, शिक्षा संकायाध्यक्ष संयोजक- शिक्षा अध्ययन बोर्ड तथा प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
10. डॉ. शेर सिंह दौचाणिया, वाणिज्य संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
11. श्री सीताराम शर्मा, विधि संकायाध्यक्ष एवं प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर
12. श्रीमती माया बंसल, कला संकायाधक्ष एवं प्राचार्या, राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
13. डॉ. हासो दादलानी, संयोजक-सिन्धी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
14. श्रीमती पुष्पा गुप्ता, संयोजक- संस्कृत अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

15. डॉ. शांतीलाल बिहाणी, संयोजक- इतिहास अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा, भीलवाड़ा

16. डॉ. नरोत्तम जयपाल, संयोजक- समाजशास्त्र अध्ययन बोर्ड, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर

17. प्रो. एस.के. माहना, संयोजक- वनस्पति शास्त्र अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

18. प्रो. के.सी. शर्मा, संयोजक- पर्यावरण विज्ञान अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष पर्यावरण अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

19. प्रो. एम.एल. छीपा, संयोजक- अर्थशास्त्र अध्ययन बोर्ड एवं बिज़नस इकॉनोमिक्स अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

20. डॉ. के.जी. ओझा, संयोजक-रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, भेषजकीय रसायनशास्त्र अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष रसायन एवं अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

21. प्रो. बी.पी. सारस्वत, संयोजक-आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड एवं उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय अध्ययन बोर्ड तथा विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

22. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, संयोजक- जनसंख्या अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष जनसंख्या अध्ययन विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

23. प्रो. (श्रीमती) जी.के. कोहली, संयोजक- गृह विज्ञान अध्ययन बोर्ड एवं संयोजक- खाद्य एवं पोषण अध्ययन बोर्ड, विभागाध्यक्ष खाद्य एवं पोषण विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

24. डॉ. विनीता माथुर, संयोजक, संगीत अध्ययन बोर्ड, सावित्री कन्या महाविद्यालय, अजमेर

25. डॉ. उमा जोशी, संयोजक- मनोविज्ञान अध्ययन बोर्ड, सोफिया कॉलेज, अजमेर

26. श्री जी.एस. मित्तल, संयोजक, भू-गर्भ शास्त्र अध्ययन बोर्ड, राजकीय बांगड महाविद्यालय, डीडवाना

27. डॉ. अजय सिंह रूहेल, संयोजक-शारीरिक शिक्षा अध्ययन बोर्ड, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

28. डॉ. एन.एल. शर्मा, संयोजक-हिन्दी अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, के.डी.जैन कन्या महाविद्यालय, किशनगढ़

29. डॉ. राम जैसवाल, संयोजक- चित्रकला अध्ययन बोर्ड, संयुक्त निदेशक, भारतविद्या अध्ययन संकुल, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

30. डॉ. नीरज भार्गव, संयोजक- कम्प्यूटर साइंस अध्ययन बोर्ड एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन अध्ययन बोर्ड तथा एसोसिएट प्रोफेसर कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स विभाग, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

31. डॉ. आशीष भटनागर, संयोजक- सूक्ष्म जैविकी अध्ययन बोर्ड, एसोसिएट प्रोफेसर सूक्ष्म जैविक विभाग, म. द. स. विश्वविद्यालय, अजमेर

32. डॉ. एन.के. सोनी, संयोजक- गणित व अनुप्रयुक्त गणित अध्ययन बोर्ड, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, नागौर

33. डॉ. डी.पी. अग्रवाल, संयोजक, योग एवं मानव चेतना अध्ययन बोर्ड, उपाचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

34. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़

35. डॉ. लक्ष्मीकान्त व्यास, संयोजक- राजस्थानी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

36. श्री एन.के.शर्मा, कुलसचिव-सदस्य सचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर (अवकाश पर)

<u>निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके</u>

1. प्रो. आर.पी. जोशी, संयोजक- राजनीति शास्त्र एवं लोक प्रशासन अध्ययन बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष, म.द.स.वि, अजमेर
2. डॉ0 अशरद हसन, संयोजक-उर्दू, फारसी एवं अरबी अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, टोंक।
3. डॉ0 दिनेश कुमार मिश्रा, संयोजक-जीव विज्ञान एवं जैन दर्शन, राजकीय बांगड़ कॉलेज, पाली।
4. डॉ0 अनुराग शर्मा, संयोजक-अंग्रेजी अध्ययन बोर्ड, प्राध्यापक, डी.ए.वी. कॉलेज, अजमेर ।
5. डॉ0 इन्दू सक्सेना, संयोजक- भौतिक शास्त्र अध्ययन बोर्ड, राजकीय महाविद्यालय, जालौर।
6. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मेड़ता सिटी,
7. प्राचार्य, राजकीय एम.एल.वी. कॉलेज, भीलवाड़ा
8. डॉ. आर.एम. शर्मा, विभागाध्यक्ष, व्यावसायिक वित्त एवं अर्थशास्त्र विभाग, जे.एन.वी. विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. प्रो0 एल0सी0 खत्री, भूगोल विभाग, समाज विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

<u>विशेष आमंत्रित</u>

1. डॉ0 जगराम मीणा, परीक्षा नियंत्रक, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर
2. श्रीमती आनन्द आशुतोष, लेखाधिकारी, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने नव-नियुक्त संकायाध्यक्षों का परिचय कराया एवं दिनांक **25.06.2008**को सम्पन्न हुई प्राचार्यों की बैठक के सम्बन्ध में समुचित जानकारी दी। यह भी अवगत कराया कि उस बैठक के निर्णय शीघ्र ही सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भिजवाए जा रहे हैं।

विद्या परिषद् के सदस्यों ने पहली बार नियुक्त महाविद्यालय संकायाध्यक्ष प्रो. के.के. शर्मा, वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष डॉ. शेरसिंह दौचणिया, शिक्षा संकाय के संकायाध्यक्ष डॉ. बी.जी.

जाधव एवं विधि संकाय के संकायाध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् विद्या परिषद् की कार्यसूची पर विचार-विमर्श आरम्भ हुआ।

	विवरण	**अनुभाग**
मद सं.1	विद्या परिषद् की निम्नांकित निर्णय संख्या 15(3) दिनांक 16.5.2008 पर पुनर्विचार करना:	**शैक्षणिक**
	''संस्तुति की, कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रयोग के तौर पर सैमेस्टर प्रणाली सत्र 2008-09 से आरम्भ की जाए, परिसर में संचालित जिन पाठ्यक्रमों का निर्माण सैमेस्टर प्रणाली के रूप में नहीं है, उसका विभाजन सैमेस्टर प्रणाली के रूप में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अविलम्ब करके कुलपति महोदय को प्रस्तुत करें। सैमेस्टर प्रणाली के परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन की सुविधा से मुक्त करने के लिए सम्बन्धित अध्यादेश में संशोधन करने हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।''	
निर्णय	**ऐसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, जिनका अध्यापन केवल परिसर स्थित शैक्षणिक विभागों में हो रहा है, इस सत्र से वहाँ सैमेस्टर प्रणाली से अध्यापन कराया जाए। अतः सम्बन्धित विभागाध्यक्ष सात दिवस में अपने पाठ्यक्रम को सैमेस्टर प्रणाली के रूप में वर्गीकृत करके माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे। विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों में सहभागी होते हुए विभागाध्यक्षों द्वारा उनकी अनुपालना के प्रति उदासीन रहने की प्रवृत्ति को अनुचित माना और अपेक्षा की, कि प्राधिकरण के निर्णयों की अनुपालना पूरी निष्ठा और समयबद्धता के साथ की जानी चाहिए।**	
मद सं.2	शोधोपाधि हेतु शोधार्थी को जारी अनन्तिम प्रमाणपत्र (Provisional Certificate) खो जाने, नष्ट हो जाने की स्थिति में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दिए जाने हेतु निम्नांकित अध्यादेश **124.13(iii)** प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित करना:	**शोध**
	"During the period of issue of Provisional Certificate and conferment of the degree of Ph.D. to research scholar student, if Provisional Certificate is lost or has been destroyed and that the candidate has a real need for duplicate provisional certificate, a duplicate certificate shall be issued on production of an affidavit on stamp paper of Rs.10/- required by law from time to time being in course by the applicant concerned alongwith an application to this effect and remittance of a fee Rs.100/- to the Registrar. In such case a duplicate provisional certificate may be issued and the matter may be reported to the Academic Council at the time of conferment of the degree."	
निर्णय	**उपर्युक्त अध्यादेश में दूसरी पंक्ति में** "scholar" **शब्द के बाद लिखे** "students" **शब्द को विलोपित करते हुए शेष प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन हेतु रखने की संस्तुति की।**	
मद सं.3	बैंकिंग एवं फाइनेंस डिप्लोमा परीक्षा, 2008 का पाठ्यक्रम अधिकृत प्राधिकार अनुमोदित न होने एवं उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश दे दिए जाने के कारण इस परीक्षा के आयोजन क सम्बन्ध में विचार करना।	**शैक्षणिक**

निर्णय **सत्र 2008-09 के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम को ही सत्र 2007-08 एवं सत्र 2008-09 के लिए स्वीकार किया एवं संयोजक से अपेक्षा की, कि पाठ्यक्रम में जो कमियाँ हैं उन्हें अविलम्ब ठीक करें। पाठ्यक्रम यथा-समय प्रस्तुत नहीं करना और अनुमोदित नहीं कराना अच्छी परम्परा नहीं है।**

मद सं.4 बी.एड. परीक्षा 2008 हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय में आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा 'कला' (Drawing & Painting) आवण्टित कर दिए जाने, विश्वविद्यालय द्वारा इस विषय का पाठ्यक्रम निर्मित न होने पर भी महाविद्यालय को इस विषय हेतु सम्बद्धता दे दिए जाने, समन्वयक-पीटीईटी द्वारा इस विषय में छात्र आवण्टित कर दिए जाने, सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के पाठ्यक्रम के आधार पर कथित रूप से अध्यापन कराए जाने और परीक्षा नियन्त्रक द्वारा परीक्षा समय-सारणी जारी किए जाने की स्थिति पर विचार कर निर्णय करना। **शैक्षणिक**

निर्णय **विचार-विमर्श कर परिषद ने शिक्षा संकायाध्यक्ष और माननीय कुलपति महोदय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ की समिति का गठन करने का निर्णय किया, जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर में संचालित कला विषय के पाठ्यक्रम का अवलोकन कर अविलम्ब पाठ्यक्रम प्रस्तावित करेगी और उस पाठ्यक्रम को विद्या परिषद् की ओर से अनुमोदित किए जाने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया।**

मद सं.5 दिनांक 9.6.2008 को सम्पन्न जर्नलिज़्म एवं मास कम्यूनिकेशन पाठ्यक्रम समिति की बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना। (**परिशिष्ठ-1**) **शैक्षणिक**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-1 पर प्रस्तुत समिति की संस्तुतियों का अनुमोदन किया।**

मद सं.6 लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी अध्ययन बोर्ड की बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना (**परिशिष्ठ-2**) **संस्तुतियाँ पटल पर प्रस्तुत होंगी।** **शैक्षणिक**

निर्णय **समिति की संस्तुतियाँ विद्या परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ रखी जाएँ।**

मद सं.7 व्यावसायिक प्रशासन अध्ययन बोर्ड की संस्तुतियों पर विचार कर निर्णय करना। **(परिशिष्ठ-3) संस्तुतियाँ पटल पर प्रस्तुत होंगी।** **शैक्षणिक**

निर्णय **समिति की संस्तुतियाँ विद्या परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ रखी जाएँ।**

मद सं.8 संयोजक, शिक्षा अध्ययन बोर्ड द्वारा दिनांक 21.5.2008 को प्रस्तुत एम.फिल. शिक्षा 2008 के पाठ्यक्रम को माहना समिति की संस्तुतियों के अनुसार संशोधित कर दिनांक 21.5.2008 को प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर विचार कर निर्णय करना। (**परिशिष्ठ-4**) **शैक्षणिक**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-4 पर प्रस्तुत पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया।**

मद सं.9 विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों (शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को छोड़कर) में आवण्टित सीटों में वृद्धि के लिए प्रस्तावित विनियम पर विचार एवं निर्णय करना। (**परिशिष्ठ-5**) **शैक्षणिक**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-5 पर प्रस्तावित विनियमों में विनियम संख्या 6 में "immediately" शब्द के स्थान पर "within three days" लिखा जाए। विनियम संख्या 8 में 60% के स्थान पर 50% लिखा जाए। इन दोनों परिवर्तनों के साथ प्रस्तावित सभी विनियम अनुमोदित किए गए।**

निर्णय किया कि सीट अभिवृद्धि की अधिकतम सीमा पूर्व आवण्टित सीट की संख्या का 50% संख्या रहेगी।

सीटों के आवण्टन के सम्बन्ध में महाविद्यालय के संसाधनों के मूल्यांकन का प्रपत्र प्रस्तावित करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की एक समिति का गठन किया:

प्रोफेसर के.के. शर्मा, संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय

डॉ. आशीष भटनागर, विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान

डॉ. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन

मद सं.10 विद्या परिषद् की निर्णय संख्या 4 दिनांक 16.5.2008 के निर्णय Financial Control and Marketing Management प्रबन्ध अध्ययन संकाय को समनुदेशित किए जाने पर पुनर्विचार करना। **शैक्षणिक**

निर्णय **निर्णय किया कि, Financial Control & Marketing Management विषय वाणिज्य संकाय को समनुदेशित कर दिया जाए।**

मद सं.11 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 में प्रस्तावित संशोधनों (**परिशिष्ठ-6**) पर विचार करना : **शोध**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-6 के माध्यम से अध्यादेश 124 में प्रस्तावित संशोधनों को निम्नांकित परिवर्तनों के साथ स्वीकार करने की संस्तुति की :**

<u>अध्यादेश 124.6(iii)</u> में "A scientist/research fellow/faculty member" शब्द के बाद "duly recruited by the concerned" शब्द जोड़ा जाए एवं "of" शब्द को विलोपित किया जाए। इसी प्रकार, चौथी

पंक्ति में "post doctoral research" शब्दों के बाद under a post doctoral fellowship programme जोड़ा जाए।

अध्यादेश 124.8(ix) में समिति की संरचना में "(c) The expert nominated by the Vice Chancellor in the SRC concerned" लिखा जावे तथा वर्तमान (c) को (d) के रूप में लिखा जाए।

अध्यादेश 124.8(xi) में दण्ड की राशि रू.2000/- अंकित की जाए।

अध्यादेश 124.9(i) B में अन्त में '/Dean of the faculty' जोड़ा जाए।

अध्यादेश 124.13(i) में परिशिष्ठ-XI के रूप में प्रावधित शोध प्रबन्ध के परीक्षकों के प्रतिवेदन के वर्तमान प्रपत्र के स्थान पर परिशिष्ठ- XI का प्रपत्र अनुलग्न(क) के अनुसार निर्धारित करने का निर्णय किया।

मद सं.12 दिनांक 19.6.2008 को सम्पन्न स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रम संचालन समिति की संस्तुतियों पर विचार करना। (**परिशिष्ठ-7**) **विवले**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-7 पर प्रस्तुत स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रम संचालन समिति की संस्तुतियों को निम्नांकित सुझावों एवं बिन्दुओं को समाविष्ट करते हुए संशोधित करके प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की :**

(i) परिभाषाओं में केवल Course co-ordinator और Course Co co-ordinator की परिभाषाएँ लिखी जाएँ।

(ii) Course Co-ordinator की परिभाषा में यह भी जोड़ा जाए "and assigned the duties of the course co-ordinator of Self Financing Course(s)"

(iii) परिभाषाओं में ही क्रमांक (vii) में दर्शाई गई Self Financing Scheme Advisory & Monitoring Committee के प्रावधान को इस स्थान से हटाकर नियम संख्या 11 में यथा-स्थान सम्मिलित किया जाए।

(iv) नियम संख्या 3 में पाँचवी पंक्ति में "fund" शब्द को विलोपित किया जाए एवं सातवीं पंक्ति में SFS fund के पश्चात् "created by the Board of Management" शब्द जोड़ा जाए।

(v) नियम संख्या 3 की अन्तिम पंक्ति "on the proposal of departmental council, the course shall be approved by the University authorities and statutory bodies" वाक्य को विलोपित किया जाए।

(vi) नियम संख्या 5 में विभागाध्यक्ष के कार्य, पाठ्यक्रम समन्वयक के कार्य और पाठ्यक्रम सह-समन्वयक के कार्यों का अलग-अलग स्पष्ट निर्धारित कराया जाए।

(vii) नियम संख्या 5(ii) विलोपित की जाए।

(viii) नियम संख्या 5(vi) को पुनर्विचार कर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

(ix) नियम संख्या 5(x) में शब्द "any" एवं "certificate" के बीच "experience" शब्द समाविष्ट किया जाए।

(x) नियम संख्या 5(xi) में जिस guest faculty से affidavit लिया जाना है उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

(xi) नियम संख्या 6A Guest Faculty शीर्षक के अन्तर्गत "For UG & PG teaching" उपशीर्षक में प्रस्तावित प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाए तथा आयु सीमा को 65 के स्थान पर 70 वर्ष अंकित किया जाए।

(xii) नियम संख्या 6B(iii) में सभी के लिए रू.4000/- प्रतिमाह मानदेय की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।

(xiii) नियम संख्या 7B में प्रस्तावित दर में नया नोट यह जोड़ा जाए कि उपर्युक्त प्रस्तावित दर से मानदेय का भुगतान होगा जिसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रम के लिए उपर्युक्तानुसार पृथक-पृथक भुगतान होगा।

(xiv) नियम संख्या 8C में "out station visiting faculty" द्वारा अवकाश के दिन कक्षाएँ लेने हेतु कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति को विलोपित किया जाए।

(xv) नियम संख्या 8 (d) में office staff और course co-ordinator को मानदेय का भुगतान उनके वेतन खाते में अन्तरित करने की व्यवस्था की जाए।

(xvi) नियम संख्या 10 में आय के मद भी पाठ्यक्रमवार निर्धारित किए जाने का प्रावधान किया जाए। व्यय के मद वहीं रखे जाएं जो स्वीकृत हैं।

(xvii) नियम संख्या 10A 1 (B) विलोपित की जाए।

(xviii) नियम संख्या 11 में वर्तमान वाक्य के स्थान पर यह लिखा जाए "there shall be a Self Financing Scheme Advisory and Monitoring Committee consisting of the following appointed by the Vice Chancellor to perform the following functions:"

(xix) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पूर्व में अनुमोदित नियमों में Course Maintenance Fund की राशि का उपयोग किस प्रकार होगा उसकी प्रक्रिया स्पष्ट की जाए।

(xx) जिन विभागों में स्ववित्त पोषी पाठ्यक्रम 1 बजे से सांय 7 बजे तक संचालित होते हैं उन विभागों में कार्यरत अशैक्षणिक स्टाफ और तकनीकी स्टाफ की ड्यूटी प्रातः 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक

लगाने के आदेश कुलसचिव द्वारा जारी किए जाएं। इसी प्रकार, वित्त एंव लेखा अनुभाग के जिन कर्मचारियों को स्ववित्त पोषी प्रकोष्ठ का कार्य दिया गया है उनका कार्यालय समय भी सांय 7.00 बजे तक किए जाने के आदेश जारी किए जाएं।

मद सं.13 बी.एस.सी. इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी पार्ट-।। परीक्षा 2008 के प्रथम प्रश्न-पत्र Computer Oriented Statistical Methods की परीक्षा दिनांक 11 मार्च, 2008 को हुई थी। इस प्रश्न पत्र के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी कि यह प्रश्न-पत्र पाठ्यक्रम से बाहर है। शिकायत निवारण समिति द्वारा विशेषज्ञ की राय ली गई, जिसके अनुसार प्रश्न संख्या 4 एवं 10 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर थे। विश्वविद्यालय के मानदण्डों के अनुसार यदि किसी प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर होते हैं तो उसकी पुनः परीक्षा कराने का प्रावधान है। परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि प्रश्न-पत्र निर्माता ने गत वर्ष के सैम्पल पेपर के आधार पर प्रश्न-पत्र का निर्माण कर दिया। अतः समय के अन्तराल और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न-पत्र शिकायत निवारण समिति की दिनांक 26.5.2008 की बैठक में संस्तुति की गई है कि इस प्रश्नपत्र के अंक रूप में छात्रों द्वारा शेष 5 प्रश्न-पत्रों के प्राप्तांकों का औसत अंक प्रदान करके परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए। इस संस्तुति पर विचार एवं निर्णय करना। **परीक्षा**

निर्णय **शिकायत निवारण समिति की दिनांक 26.5.2008 की संस्तुतियों को स्वीकार करने की अनुशंषा की और निर्णय किया कि जिस परीक्षक द्वारा यह प्रश्नपत्र निर्मित किया गया है उसकी जांच कराकर उसे नियमानुसार परीक्षक के कार्य से डिबार कर दिया जाए।**

मद सं.14 संयोजक, समाज शास्त्र अध्ययन बोर्ड द्वारा दिनांक 12.4.2008 को प्रस्तुत एम.फिल. समाजशास्त्र 2008 के पाठ्यक्रम को माहना समिति की संस्तुतियों के अनुसार संशोधित कर दिनांक 12.4.2008 को प्रस्तुत पाठ्यक्रम पर विचार कर निर्णय करना। (**परिशिष्ट-8**) **शैक्षणिक**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-8 पर प्रस्तुत पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया।**

मद सं. 15 विश्वविद्यालय के अध्यादेश 51(1) में यह प्रावधान है कि अस्थाई सम्बद्धता में वृद्धि हेतु अथवा स्थाई आवेदन हेतु प्रतिवर्ष 30 मई के बाद भी किन्तु, नए सत्र के आरम्भ होने की तिथि के पश्चात् नहीं, विशेष प्रकरण के रूप में आवेदन-पत्र स्वीकार किए जा सकते हैं। यह आवेदक संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अधिक विलम्ब शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करा देती है। अतः ऐसे प्रकरणों में विलम्ब शुल्क के निर्धारण पर विचार कर निर्णय करना। **शैक्षणिक**

निर्णय **विश्वविद्यालय के अध्यादेश 51(1) के अनुसार जो महाविद्यालय अपनी अस्थाई सम्बद्धता को बढ़ाने/स्थाई सम्बद्धता लेने के लिए दिनांक 30 मई तक आवेदन नहीं कर सके, यदि उन्होंने आवेदन दिनांक 31 मई, 2008 से 1 जुलाई, 2008 तक किया है तो उन्हें सम्बद्धता शुल्क का तीन गुना विलम्ब शुल्क जमा कराना होगा। विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार 30 मई, 2008 के बाद नवीन सम्बद्धता के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं हो सकता है। अतः वे आवेदन-पत्र सम्बन्धित संस्था को पुनः लौटा दिए जाएँ।**

मद सं. 16 विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम प्रस्तावित करते समय सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों एवं पाठ्यक्रम समितियों द्वारा संलग्न परिशिष्ठ में अंकित बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तावित किए जाएँ। **(परिशिष्ठ -10)** **शैक्षणिक**

कार्यसूची के परिशिष्ठ-10 में वर्णित बिन्दुओं को स्वीकार किया और निर्णय किया कि अध्ययन बोर्ड एवं पाठ्यक्रम समिति की कार्यसूची के साथ यह बिन्दु भेजा जाए।

मद सं. 17 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग - सैण्ट्रल रीज़नल ऑफिस, भोपाल के पत्र क्रमांक यूजीसी-सीआरओ डीसीडीसी/2008-09/868 दिनांक 23.4.2008 के साथ संलग्न विश्वविद्यालय द्वारा जारी पब्लिक नोटिस क्र.एफ. 1-3/2007(सीपीपी-।) दि. 23.4.2008 पर विचार कर निर्णय करना। पब्लिक नोटिस की प्रति संलग्न है। **(परिशिष्ठ - 9)**

निर्णय **कार्यसूची के परिशिष्ठ-9 पर प्रस्तुत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र एवं सार्वजनिक सूचना पर विचार कर निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के विभागों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्रों की प्रवेश सूची व प्रतीक्षा सूची है और प्रवेश सूची में नाम आने के बाद प्रवेश लेने से पूर्व छात्र अपना आवेदनपत्र पुनः ले लेता है और ऐसे कल्पित रिक्त स्थान को प्रतीक्षा सूची के छात्र से भरते हुए प्रवेश दे दिया जाता है तो जिस छात्र ने आवेदनपत्र पुनः लिया है उसके शुल्क में से रू.1000/- शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस लौटा दिया जाए।**

मद सं.18(क) विश्वविद्यालय के सत्र 2008-09 से प्रवृत्त किए जाने वाले निम्न पाठ्यक्रमों, जिनकी सम्बन्धित अध्ययन बोर्डों एवं पाठ्यक्रम समिति द्वारा की गई अनुशंषाएं एवं पाठ्यक्रमों को विचारार्थ विगत विद्या परिषद् की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, पर विचार कर निर्णय करना : **शैक्षणिक**

विषय	कक्षा / पाठ्यक्रम
गणित	बीएससी पार्ट I, II, III, बीएससी (ऑनर्स) पार्ट I, II, III, एमएससी (पूर्वार्द्ध व उत्तरार्द्ध), एमफिल
कम्प्यूटर	वोकेशनल कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी-आईटी, बीसीए, बीएससी-कम्प्यूटर साइंस, एमएससी-आईटी, एमएससी-कम्प्यूटर साइंस, पीजीडीसीए, एमएससी- कम्प्यूटर साइंस (लेटरल एण्ट्री), एमसीए/ एमसीएम (लेटरल एण्ट्री), सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/एडवांस डिप्लोमा
शिक्षा	बीएड, एमएड, एमफिल-एज्यूकेशन, बीएड (सैकेण्ड्री), बीएससी-बीएड, एमएड (एलीमैंट्री)
इतिहास	बीए ऑनर्स, एमफिल

निर्णय **निर्णय किया कि उपर्युक्त वर्णित परीक्षाओं एवं जिन अन्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रम निर्मित नहीं हुए हैं, उनके लिए सत्र 2007-08 के ही पाठ्यक्रमों को सत्र 2008-09 के लिए मान्य किया जाए।**

मद सं.18(ख) निम्न अध्ययन बोर्डों में कोरम का अभाव होने/अनुशंषाएँ प्राप्त नहीं होने के कारण इन पाठ्यक्रमों पर विचार कर निर्णय करना : **शैक्षणिक**

विषय	कक्षा / पाठ्यक्रम
रिमोट सैंसिंग	पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सैंसिंग एण्ड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी रिमोट सैंसिंग एण्ड जियो इन्फॉर्मेटिक्स
राजस्थानी	बीए पार्ट-I, II, III, एमए (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)
मनोविज्ञान	बीए पार्ट I, II, III

निर्णय **निर्णय किया कि उपर्युक्त वर्णित परीक्षाओं के लिए सत्र 2007-08 के ही पाठ्यक्रमों को सत्र 2008-09 के लिए मान्य किया जाए।**

विद्या परिषद् ने कार्यसूची से पृथक निम्नांकित निर्णय भी किए :

निर्णय 19 **अनुशंषा की, कि विश्वविद्यालय के नियमित पाठ्यक्रमों में भी अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन करने के लिए आयुसीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी जाए।** **शैक्षणिक**

निर्णय 20 **निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के मुद्रित पाठ्यक्रम, स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार छपे हुए नहीं होते हैं और प्रायः यह देखा गया है कि अधिकृत प्रकाशक पुराने पाठ्यक्रमों को ही छपवा देते हैं। अतः उस प्रकाशक से पाठ्यक्रम मुद्रित नहीं कराया जाए।** **शैक्षणिक**

निर्णय 21	निर्णय किया कि, एम.फिल. नियमित पाठ्यक्रम का संचालन 5 छात्र प्रविष्ठ होने पर तथा स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रम कम से कम 10 छात्र प्रविष्ठ होने पर ही चलाया जा सकेगा और अधिकतम 30 छात्रों को एक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।	प्रवेश बोर्ड
निर्णय 22	विश्वविद्यालय में कुछ पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा में और हिन्दी भाषा में अलग छपने से होने वाली कठिनाई और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए यह शर्त को हटाने का निर्णय किया गया कि ''केवल अंग्रेजी भाषा में दिए गए पाठ्यक्रम ही मान्य होंगे'' और यह भी निर्णय किया कि प्रश्न-पत्र निर्माता के पास पाठ्यक्रम का हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का सिलेबस भेजा जाए, यदि प्रश्न-पत्र के निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत आती है तो शिकायत निवारण समिति प्रश्नपत्र के दोनों भाषाओं के पाठ्यक्रम को देखकर ही अपनी अनुशंषा दे, जिससे न्याय हो सके।	शैक्षणिक व परीक्षा

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

dqyifr **dqylfpo**